रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2004.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 21 अगस्त, 2004/30 श्रावण, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

केलंग, 5 अगस्त, 2004

संख्या एफ0 डी0 एस0-एल0 एस0 पी0 (ई0) (1) 1/03-2411-46.—पिछले सभी आदेशों एवं अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी निरोधक आदेश, 1977 की धारा 3 (1) (ई) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, बी0 आर0 वर्मा (भा0 प्र0 से0), जिला दण्डाधिकारी, लाहौल एवं स्पिति स्थित केलंग, लाहौल तथा उदयपुर उप-मण्डलों के लिये निम्नलिखित वस्तुओं के समस्त करों सहित प्रत्येक के समक्ष दर्शाए गए अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित करता हूं:—

क्रमांक	अनुसूची के अनुसार संख्या	वस्तु का नाम	अधिकतम पड़चून विक्रय मूल्य
1	2		4
			रु0 पै0
	12	1. मीट बकरा/मेंढा (प्रति कि0 ग्रा0)	105.00
		2. कलेजी (प्रति कि0 ग्रा0)	105.00
		3. पोटी/सीरी (प्रति कि0 ग्रा0)	50.00

1620-राजपत्र/2004-21-8-2004—1,415. (1669) S

मूल्य: एक रुपया।

1	2	3	4
			रु० पै०
		4. बतरोड़ा (प्रति बतरोड़ा)	6.00
		5. चिकन (Dressed) (प्रति कि० ग्रा०)	75.00
		6. मुर्गा (ब्रायलर) Dressed (प्रति कि० ग्रा०)	85.00
		7. मुर्गा (जीवित) (प्रति कि० ग्रा०)	50.00
2.	17	होटल/ढाबों में परोसा जाने वाला खाना :	
		1. खाना पूरी खुराक दाल सब्जी सहित	20.00
		2. स्पैशल सब्जी/राजमाश/चना/भिण्डी/गोभी/मिक्सड मिर्च व आलू मटर (प्रति प्लेट)।	15.00
		3. मटर पनीर/पालक पनीर (प्रति प्लेट)	20.00
		4. चपाती तवा/तंदूरी प्रति एक	2.00
		5. मीट पका हुआ जिसमें 5 पीस हो (प्रति प्लेट)	20.00
		6. पका हुआ चिकन (प्रति प्लेट)	20.00
		7. परौंठा स्टफड प्रत्येक	5.00
		8. थुक्पा पूरी प्लेट	20.00
		9. थुक्पा आधी प्लेट	10.00
		10. मोमो (प्रति प्लेट) जिसमें 8 पीस हों	20.00
		11. चोमिन (शाकाहारी) प्रति प्लेट	20.00
		12. चोमिन (नौन-वैज) प्रति प्लेट	25.00
		13. चाय प्रति कप	2.50
		14. नीम्बू चाय प्रति कप	3.00
		15. मीट चावल (पूरी खुराक)	30.00
		16. दो पूरी (सब्जी सहित)	10.00
3.	18	दूध/दही/पनीर.	
		1. दूध प्रति किलोग्राम	12.00
		2. दही प्रति कि० ग्रा०	16.00
		3. पनीर प्रति कि० ग्रा०	85.00
4.		मिठाईयां :	
		1. लड्डू मोतीचूर प्रति कि० ग्रा०	45.00
		2. लड्डू सादा प्रति कि० ग्रा०	40.00
		3. मटर प्रति कि० ग्रा०	40.00
		4. बेसन प्रति कि० ग्रा०	40.00
		5. बालूशाही प्रति कि० ग्रा०	40.00
		6. पकौड़े प्रति कि० ग्रा०	40.00
		7. सेविया/बूंदी प्रति कि० ग्रा०	40.00
		8. जलेबी प्रति कि० ग्रा०	40.00

1	2	3	4
			रु० पै०
		9. खजूर प्रति कि० ग्रा०	40.00
		10. खजूर प्रति पीस	2.50
		11. मट्ठी प्रति पीस	2.00
		12. गुलाब जामुन/रसगुल्ले (प्रति कि० ग्रा०)	50.00
		13. गुलाब जामुन/रसगुल्ले (प्रति पीस)	3.00
		14. समोसा प्रति पीस	2.50
		15. मिल्क केक (प्रति कि० ग्रा०)	80.00
		16. बर्फी सादी (प्रति कि० ग्रा०)	70.00
		17. बर्फी कोकोनेट (प्रति कि० ग्रा०)	80.00
		18. बर्फी स्पैशल (प्रति कि० ग्रा०)	90.00
		19. रस मलाई (प्रति प्लेट)	15.00
6.	2	1. ब्रैड वजन 400 ग्रा०	6.00
		2. ब्रैड वजन 800 ग्रा०	12.00

नोट.—1. प्रत्येक दुकानदार हि० प्र० वस्तु मूल्यांकन एवं प्रदर्शन आदेश, 1977 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर सहज दृष्टिगत स्थान पर मूल्य सूची हिन्दी भाषा में प्रदर्शित करेगा और इस पर दुकानदार/भागीदार के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

2. कोई भी दुकानदार उपभोक्ताओं से उपरोक्त निर्धारित कीमत से अधिक चार्ज नहीं करेगा।

3. प्रत्येक दुकानदार उपभोक्ताओं को 25/- रुपये से अधिक की खरीद पर अथवा ग्राहक के मांगे जाने पर किसी भी खरीदी गई वस्तु की राशि के लिए कैशमैमों जारी करेगा।

4. यह आदेश राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित होने की तिथि से एक मास की अवधि तक केलंग तथा उदयपुर उप-मण्डल में लागू होंगे।

बी० आर० वर्मा,
जिला दण्डाधिकारी,
लाहौल एवं स्पिति स्थित केलंग (हि० प्र०)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित